संख्या- 13 /सा-3- 180 /दस-2016-301(09)/2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक : 19 मई, 2016

विषय:- नई पेंशन योजना से निकासी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-1613/दस-2011-301(09)/2011, दिनाँक 05-12-2011 शासनादेश संख्या-13-सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014 दिनाँक 31-10-2014 तथा अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2015-301(09)/2011 दिनाँक 06-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु/विकंलागंता तथा बिमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति के दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ शासनादेश दिनाँक 05-12-2011, सपठित शासनादेश दिनाँक 31-10-2014 की व्यवस्थाओं के अनुरूप अनुमन्य है।

2- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 जिसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनाँक 06-11-2015 द्वारा अंगीकृत किया गया है, के विनियम-3(ग) सपठित विनियम-6(ड.) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

क- सेवाकाल में मृत कर्मचारी के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि यदि वे चाहे तो मृतक कर्मचारी के PRAN खाते में संचित धन का यथाविधि प्रत्याहरण करें, अथवा शासनादेश दिनाँक 05-12-2011 सपठित शासनादेश दिनाँक 31-10-14 की व्यवस्था के अनुरूप पारिवारिक पेंशन की सुविधा का वरण करें।

ख- यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसके स्थाई सेवानिवृत्ति खाते (PRAN) में संचित धन 2 लाख रूपये अथवा उससे कम है तो उसके नामिति अथवा विधिक वारिस जैसा भी मामला हो, को पूरा संचित धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा तथा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या

--2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वावित हो जायगा। अन्य ऐसे सभी मामले में जिनमें सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, में अभिदाता के संचित धन का कम से कम 80 प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिये उपयोग किया जायगा और अतिशेष पेंशन धन एक मुश्त रूप में ऐसे अभिदाता के यथास्थिति नामिति या नामितियों या विधिक वारिसो को भुगतान कर दिया जायगा।

ग- यदि विनियम-6(ड.) के अनुसार अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य, सरकार द्वारा उपबन्धित मृत्यु या निःशक्तता सम्बन्धी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का उपभोग करते हैं, तो सरकार को अभिदाता के PRAN खाते में सम्पूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरित किये जाने का अधिकार होगा। ऐसे लाभ का उपभोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के परिवार के सदस्य से पारिवारिक पेंशन या निःशक्तता पेंशन या कोई अन्य सम्बन्धित प्रसुविधा के स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से और बिना शर्त सरकार को PRAN खाते में सम्पूर्ण संचित पेंशन धन अंतरित करने के लिये सहमत होंगे और इसका वचन देंगे। जिन प्रकरणों में शासनादेश दिनाँक 05-12-2011 सपठित शासनादेश दिनाँक 31-10-2014 के क्रम में सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जा चुके है, उनमें भी इसी आशय का वचन-पत्र लाभार्थी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से निदेशक पेंशन को प्रस्तुत किया जायगा।

3- इस शासनादेश के प्रयोजनार्थ विकल्प पत्र का प्रारूप संलग्न है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

<u>संलग्नक : उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 13 /सा-3- 180(1)/दस-2016-301(09)/2011, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 13 /2016-सा-3-180 /दस-2016-301(09)/2011, दिनाँक 19 मई, 2016 का संलग्नक

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी / पारिवारिक पेंशन / नि:शक्तता पेंशन के विकल्प का का प्रारूप

1-कर्मचारी का नाम--

2-स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या(PRAN)-------------------------------------

3-पदनाम---

4-(i)अंतिम वेतनमान (पे-बैण्ड एवं ग्रेड पे)--------------------------------------

(ii)अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन एवं ग्रेड पे)---------------------------------

5-विभाग---

6-तैनाती का अंतिम कार्यालय---

7-(i)सम्बद्ध कोषागार---

(ii)पंजीकरण संख्या---

8-(i)आहरण एवं वितरण अधिकारी---

(ii)पंजीकरण संख्या-------------------------------

9-कर्मचारी के आश्रितों का विवरण : (नाम एवं कर्मचारी से संबंध)

(i)-------------------------------------

(ii)-------------------------------------

(iii)-------------------------------------

आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर

(1)-------------------------------------

(2)-------------------------------------

(3)-------------------------------------

10-आवेदक/आवेदकों की अण्डर टेकिंग

(i) मैं/ हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि उपर्युक्त विवरण पूर्णतया सही एवं सत्य है, तथा मेरे/ हमारे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नही गया है और न ही जानबूझ कर कोई असत्य सूचना अंकित की गयी है। किसी सूचना / तथ्य के गलत होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाये। मुझे / हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) मैं/ हम एतदद्वारा स्वेच्छा से तथा अपने पूर्ण संज्ञान में यह विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि :- (क) मैं/ हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या (PRAN) में संचित धनराशि का यथातिथि प्रत्याहरण करने के इच्छुक हैं। मुझे / हमें यह ज्ञात है कि इस सुविधा का वरण करने पर हमें पारिवारिक पेंशन/ नि:शक्तता पेंशन/ ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी। मैं/ हम इसका भविष्य में प्रतिवाद न करने का भी वचन देते हैं।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर
(नाम, पता एवं दिनाँक सहित)
(1)------------------------------------
(2)------------------------------------

आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर
(1)------------------------------------
(2)------------------------------------
(3)------------------------------------

(iii) राज्य सरकार के शासनादेश संख्या--------------, दिनाँक सपठित शासनादेश संख्या- ----------------------दिनाँक----------के अधीन पारिवारिक / नि:शक्तता /विकलांगता पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा का वरण करता/करती हूँ/करते हैं, तथा सुश्री / श्री (कर्मचारी का नाम) के, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन खुले स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या (PRAN) -------------------------में सम्पूर्ण संचित धन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने पक्ष में समायोजित / अंतरित कर लेने पर अपनी बिना शर्त सहमति प्रदान करता / करती हूँ / करते हैं।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर
(नाम एवं पता सहित)
(1)------------------------------------
(2)------------------------------------

दिनाँक--------------------
स्थान---------------------

आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर
(1)---------------------------------
(2)---------------------------------
(3)---------------------------------

दिनाँक--------------------
स्थान--------------------

11- आहरण एवं वितरण अधिकारी का प्रमाण-पत्र

क्रमांक संख्या 1 से 8 तक अंकित विवरण का (कर्मचारी का नाम दिया जाये) की सेवा पुस्तिका एवं वेतन पं◌ी से सत्यापन किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनॉक--------------------- हस्ताक्षर-----------------------------
स्थान---------------------- नाम एंव पदनाम---------------------
(मुहर लगायी जाये)

12- कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

क्रमांक संख्या 1 से 9 तक अंकित विवरण (कर्मचारी का नाम) की सेवा पुस्तिका, वेतन पंजी एवं अन्य सेवाभिलेखों से किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध हैं।

दिनॉक--------------------- हस्ताक्षर-----------------------------
स्थान---------------------- नाम एंव पदनाम---------------------
(मुहर लगायी जाये)

नोट : विकल्प पत्र छः प्रतियों में भरवाया जाये। एक-एक प्रति संबंधित कोषागार, मण्डलीय अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा निदेशक, पेंशन (अथवा संबंधित स्टेट नोडल ऑफिसर) को प्रेषित की जाये, दो प्रतियॉं कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये तथा एक प्रति आवेदक/ आवेदकों को वापस कर दी जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in